संख्याः–606/XVIII(II)/2014–1(106)/2008

प्रेषक,

भास्करानन्द
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक20 मार्च, 2014

विषयः–राष्ट्रीय चेतना कॉलेज ऑफ एजुकेशनल सोसाइटी, देहरादून को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हेतु 3300 वर्गमीटर भूमि/भवन कय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–927/12–ए–79(2011–14)/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 23.08.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, राष्ट्रीय चेतना कॉलेज ऑफ एजुकेशनल सोसाइटी, देहरादून को ग्राम माण्डूवाला, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हेतु 3300 वर्गमीटर भूमि/भवन कय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओ के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैः–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता द्वारा कय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसकों राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

3– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

.....2

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

6– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।

7– इकाई द्वारा उक्त भूमि का पूर्ण उपयोग शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हेतु ही किया जायेगा।

8– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगे।

9– किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नही होंगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

10– संस्था द्वारा भूमि क्रय की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त भूमि का भू–उपयोग सामुदायिक सुविधाओं में परिवर्तन कराया जायेगा तथा साथ ही भूमि पर निर्मित अवैध निर्माण के सम्बन्ध में लम्बित वाद का निस्तारण भी कराया जायेगा।

11– स्थल पर निर्माण एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

12– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नही होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

13– संस्था द्वारा 30 वर्ष के लिए किराये पर ली गयी भूमि को अधिकतम एक वर्ष के भीतर विक्रय विलेख के रूप में संस्था के नाम रजिस्टर्ड कराया जाना होगा तथा संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह भूमि मानक के अनुसार है तथा इसी भूमि पर भवन का निर्माण किया जाना होगा।

14– बी0एड0 पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश करने से पूर्व संस्था द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण सुनिश्चित की जानी होगी।

15– भविष्य में अग्रेत्तर अवधि का विस्तरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराने से पूर्व सभी कमियों को पूर्ण किये जाने की दशा में प्रस्ताव महामहिम कुलाधिपति/शासन के उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा अन्यथा उल्लिखित तिथि की समाप्ति पर अस्थायी सबद्धता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

16– योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी।

.....3

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

6– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।

7– इकाई द्वारा उक्त भूमि का पूर्ण उपयोग शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हेतु ही किया जायेगा।

8– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेत कर सकेगे।